न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
द्वारा- राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

क्रमांक:- ओ०एस०डी०/नविआ/98/ 101

दिनांक:- 16-10-98

:- समझौता-अवार्ड:-

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल हेतु अवाप्तशुदा भूमि मानसरोवर योजना के वाद संख्या 1/82/7 की भूमि ख.न. 58 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ग्राम सुवालपुरा, का समझौता अवार्ड

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आवासन मंडल की आवासीय योजना हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 4(1) की अधिसूचना क्रमांक एफ-7 (72) नविआ/11/81 दिनांक 12/1/82 जारी की गई जिसका राजस्थान के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13/1/82 को करवाया गया । उक्त भूमि का कब्जा दिनांक 22/5/82 को लिया जाकर राजस्थान आवासन मंडल को सम्भलाया गया । उक्त भूमि का अवार्ड क्रमांक 8 से 12 दिनांक 6/1/84 को श्री जय सिंह, बसन्तकुमार दीपकुमार, अशोक कुमार, अनिल कुमार पुत्र श्री ओम सिंह के नाम जारी किया गया । तत्पश्चात अवार्ड के विरुद्ध श्री सुरज पुत्र पेमा एवं मोती पुत्र गोपाल माली ग्राम सुवालपुर के सिविल न्यायालय में रैफ़रैन्स करने पर सिविल न्यायालय ने दिनांक 17/2/95 के अपने फैसले में श्री जय सिंह, बसन्त कुमार दीप कुमार अशोक कुमार अनिल कुमार पुत्र श्री ओम सिंह के पक्ष में किये गये अवार्ड को खारिज कर श्री सुरज पुत्र पेमा एवं मोती पुत्र गोपाल को मुआवजा राशि के भुगतान के आदेश दिये । उक्त फैसले के खिलाफ किसी तरह की अपील बाबत इस न्यायालय में अब तक कोई सूचना प्राप्त नही हुई है । इस भूमि का मुआवजा राशि का चैक सिविल कोर्ट में जमा करा दिया गया था, जिसे अब वापिस मंगाया जा रहा है ।

सचिव राजस्थान आवासन मंडल ने पत्र क्रमांक 605 दिनांक 15.10.98 के साथ खातेदारों को उनकी भूमि के मुआवजे के बदले नकद मुआवजा न देकर 12% विकसित भू-खण्ड देने बाबत दिनांक 24/2/97 एवं 9/3/98 को भूमि समझौता समिति एवं सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति, खातेदारों से किये गये अनुबन्ध पत्र तथा खातेदारों को उनकी सम्पूर्ण भूमि के निःशुल्क समर्पण के बदले दिये जाने वाले 12% विकसित भू-खण्डों

साईट प्लान की प्रतियां भेजकर अवार्ड जारी करने हेतु लिखा है । समझौते की प्रमुख शर्त यह है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6/44/नविआ/3/89 दिनांक 22/4/92 के अनुसार उपरोक्त भूमि को खातेदार राजस्थान आवासन मंडल को निःशुल्क समर्पित करते है तथा खातेदार उक्त भूमि के बदले नकद मुआवजा न लेकर 12% विकसित भू-खण्ड लेना चाहते है ।इसका निर्णय राजस्थान आवासन मण्डल की भूमि समझौता समिति एवं सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक क्रमशः 24/2/97 एवं 9.3.98 में लिया जा चुका है ।

अवार्ड की कार्यवाही राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22/4/92 के अनुसार ही की जा रही है, क्योंकि उक्त प्रकरण राजस्थान आवासन मण्डल के उक्त परिपत्र दिनांक 4x10/97 के जारी होने के पूर्व से ही लम्बित था, इसलिये परिपत्र दिनांक 4/10/97 को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू किया जाना उचित नहीं होता तथा इस सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मंडल के संचालक मण्डल की बैठक दिनांक 22/9/98 में यह निर्णय ले लिया गया है कि परिपत्र 4/10/97 से पूर्व के लम्बित प्रकरणों पर लागू नहीं होता, इसलिये पूर्व से लम्बित प्रकरणों का निस्तारण परिपत्र 22/4/92 एवं 22/1/96 के अनुसार ही किया जावे ।

अतः राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प-6/44/नविआ/3/89 दिनांक 22/4/92 एवं परिपत्र दिनांक 22/1/96 के अनुक्रम में वाद संख्या 1/82/7 ख.न 58 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा ग्राम सुखालपुरा के खातेदार श्री मोती पु0गोपाल एवं श्री सूरज पु0 पेमा जाति माली निवासी सुखालपुरा को राजस्थान आवासन मंडल की भूमि समझौता समिति एवं सम्पत्ति आवंटन समिति में लिये गये निर्णयों के अनुसार 12% विकसित भू-खण्ड आवासीय अभियन्ता/सचिव रा0 आ0 म0 द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान एवं ले- आउट प्लान के अनुसार प्लाट न0 20/21 से 20/24 तक तथा 20/24(पी) एवं 20/24(ओ) कुल 6 प्लाट कुल क्षेत्रफल 1274.40 वर्ग मीटर के विकसित भू-खण्ड आवासीय प्रयोजनार्थ उपरोक्त खातेदारों को उपरोक्त विवरण के अनुसार आवंटन करने का समझौता अवार्ड राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22/4/92 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में सरे इजलास घोषित किया जाता है, खातेदार चाहे तो उक्त आवंटित होने वाले भू-खण्डों को अन्य किसी व्यक्तियों के नाम आवंटित करा लेवें ।खातेदारों को आवंटित भू-खण्डों पर निर्माण राजस्थान आवासन मण्डल एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की योजना के अनुसार ही किया जा सकेगा ।

---3

अतः उक्त समझौता अवार्ड मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मोहर से आज दिनांक 16/10/78 को घोषित किया गया । सभी सम्बन्धितों को अवार्ड की प्रतियां भिजवाई जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
हाल- राज0 आ0 मण्डल, जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1:- उप शासन सचिव नगरिय विकास एवं आवासन विभाग, शासन सचिवालय जयपुर ।

2:- सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

3:- सम्बन्धित खातेदार श्री ———

16.10.78

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर.
राज0आ0 मण्डल, जयपुर ।